संख्या- 719/77-6-13-8(एम)/12

प्रेषक,

आलोक रंजन,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2-आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0।
3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 16 अगस्त, 2013

विषय- राज्य सरकार द्वारा घोषित अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 एवं अन्य विभागीय नीतियों के अन्तर्गत समान प्रकृति के उपादान योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अन्तर्गत सभी प्रकार के उद्योगों जैसे-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, चीनी उद्योग, सौर ऊर्जा आदि के लिए कतिपय सुविधाएं एवं उपादान योजनाएं निर्धारित की गई है। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के साथ-साथ उद्योग विशेष सम्बंधी नीतियाँ भी सम्बंधित विभागो द्वारा प्रख्यापित की गई है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि राज्य सरकार की किसी उद्योग विशेष सम्बंधी विभागीय नीति के अन्तर्गत किसी इकाई द्वारा लाभ लिया जाता है, तो उस प्रकृति की छूट का लाभ अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अन्तर्गत जारी शासनादेशों के तहत उस इकाई को नहीं प्राप्त कराया जाएगा। राज्य सरकार की किसी भी नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करते समय इकाई को यह बात स्पष्ट करते हुये हलफनामा देना होगा कि उसके द्वारा छूट/सुविधा की योजना का लाभ केवल एक नीति के अन्तर्गत ही प्राप्त किया जा रहा है।

यदि किसी इकाई द्वारा समान प्रकृति की छूट/सुविधा का लाभ किसी अन्य विभाग की नीति/नीतियों के अन्तर्गत भी लिया जाना पाया जाता है तो ऐसी सभी नीतियों की उस प्रकृति की योजना के लिए इकाई को अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा तथा नीतियों से सम्बन्धित विभागों द्वारा पूर्व में योजनान्तर्गत प्रदान की गयी धनराशि को राजस्व वसूली की तरह प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

उदाहरणार्थ किसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा ब्याज उपादान योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा घोषित खाद्य प्रसंस्करण नीति के अन्तर्गत प्राप्त किया जाता है, तो उस इकाई को अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के अन्तर्गत पूंजीगत ब्याज उपादान योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा।

2/-

3- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के वित्तीय अनुदान एवं छूट विषयक अध्याय-5 के अन्तर्गत एतद्विषयक निर्गत शासनादेश/नियमावली जो इस शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित है, उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

4- अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त

(आलोक रंजन)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त

संख्या- 719(1)/77-6-13-8(एम)/12 तद्दिनांक:

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, यू.पी.एस.आई.डी.सी, कानपुर।
4. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
5. औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अधिकारी।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7. समस्त महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा/गीडा/बीडा/सीडा/लीडा।
9. औद्योगिक विकास विभाग के शाखा के समस्त अनुभाग।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
11. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव

शासनादेश संख्या-719/77-6-13-8(एम)/12 दिनांक- 16 अगस्त,2013 का संलग्नक।

क्र.सं	शासनादेश/नियनियमावली का संक्षिप्त विषय/ विवरण	शासनादेश/ नियमावली संख्या	दिनांक
1	निजी औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक आस्थानों के विकास हेतु विकास कर्ता को भूमि के क्रय हेतु 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति योजना	1477/77-6-12-8(एम)/12टीसी-9	05-12-2012
2	पैरेन्ट कम्पनी द्वारा अपनी सब्सीडरी कम्पनी को स्टैम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति	1565/77-6-12-8(एम)/12टीसी-13	10-01-2013
3	निवेश प्रोत्साहन योजना का विस्तार	1416/77-6-12-8(एम)/12टीसी-4 1599/77-6-12-8(एम)/12टीसी-4	30-11-2012 30-11-2012
4	पूंजीगत ब्याज उपादान योजना	1415/77-6-12-8(एम)/12टीसी-5	30-11-2012
5	अवस्थापना ब्याज उपादान योजना	1385/77-6-12-8(एम)/12टीसी-1	30-11-2012
6	औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना	1414/77-6-12-8(एम)/12टीसी-3	30-11-2012
7	ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति योजना	1456/77-6-12-8(एम)/12टीसी-II	23-01-2013
8	प्रदेश में मेगा परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहन	1457/77-6-12-8(एम)/12टीसी-VII 138/77-6-12-8(एम)/12टीसी-VII	23-01-2013 23-01-2013

(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव